

मध्यावधिक राजकोषीय नीति विवरण

क. राजकोषीय संकेतक - सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) के प्रतिशत के रूप में चल लक्ष्य

(मौजूदा बाजार मूल्य पर)

	संशोधित अनुमान बजट अनुमान		के लिए लक्ष्य	
	2007-08	2008-09	2009-10	2010-11
1. राजस्व घाटा	1.4	1.0	0.0	0.0
2. राजकोषीय घाटा	3.1	2.5	3.0	3.0
3. सकल कर राजस्व	12.5	13.0	13.5	14.0
4. वर्ष के अंत में कुल बकाया देनदारियां	63.8	59.6	55.7	52.3

टिप्पणी:—

1. "स.घ.उ." मौजूदा बाजार मूल्यों पर सकल घरेलू उत्पाद है।
2. "कुल बकाया देनदारियों" में वर्तमान विनिमय दर पर विदेशी सरकारी ऋण शामिल है। अनुमानों के लिए स्थिर विनिमय दरें मानी गई हैं।

1. यह वर्ष (2007-08) एफआरबीएम अधिनियम के तहत अधिदेशित लक्ष्यों, जिन्हें हम दिशा निर्देशों के रूप में लेते हैं, के साथ अर्थव्यवस्था का प्रबन्धन करने का चौथा वर्ष है। अधिनियम के अन्तर्गत परिमाणात्मक लक्ष्यों के संबंध में वर्ष 2007-08 में राजकोषीय निष्पादन संतोषप्रद रहा है। राजस्व व्यय में बढ़ोतरी के सापेक्ष में राजस्व में उच्च विकास के फलस्वरूप राजस्व घाटे में कमी आयी है। राजस्व में बढ़ोतरी तथा व्यय की नए सिरे से प्राथमिकता के बल पर निरन्तर राजकोषीय सुधार द्वारा संचालित सं.अ. 2007-08 में राजकोषीय घाटा तथा राजस्व घाटे का निष्पादन लक्षित स्तर की अपेक्षा बेहतर दिखायी दिया। इसी प्रकार, कर: जीडीपी अनुपात बजट अनुमान से बढ़ना तय है। जीडीपी के अनुपात के रूप में ऋण बजटीय लक्ष्य के अन्तर्गत ही रहा है। अर्थव्यवस्था उच्च विकास तथा उच्च कर प्राप्तियों की सकारात्मक दिशा में प्रवेश कर गयी है। राजकोषीय समेकन कार्य योजना वस्तुतः राजस्व से प्रभावित है जिसे कर: जीडीपी अनुपात में प्रदर्शित किया गया है। तथापि, राजकोषीय सुधार से सम्बद्ध कुछ क्षेत्र चिन्ता का विषय रहे हैं। ये चिन्ताएं मुख्यतः व्यय की गुणवत्ता से सम्बद्ध हैं। सामाजिक क्षेत्र में वर्धित आवंटन का जो वस्तुतः राजस्व व्यय है, राजस्व घाटे के सम्बन्ध में निहितार्थ हैं और जिसे अन्य आयोजना भिन्न राजस्व के नियंत्रण द्वारा संतुलित किए जाने का प्रयास किया गया है।

2. ठोस बृहद आर्थिक प्रबन्धन, अनवरत राजकोषीय समेकन और मौद्रिक स्थिरता के बल पर घाटा लक्ष्यों को वर्ष 2007-08 में निर्धारित बजटीय लक्ष्य की तुलना में पूरी तरह प्राप्त कर लेने की सम्भावना है। राजकोषीय घाटा बजट अनुमान 2007-08 में जीडीपी के 3.3 प्रतिशत से घटकर संशोधित अनुमान 2007-08 में 3.1 प्रतिशत होने का अनुमान है। इसी प्रकार, राजस्व घाटे को जिसके जीडीपी के 1.5 प्रतिशत नीचे लाने का लक्ष्य रखा गया था, उसके अब जीडीपी के 1.4 प्रतिशत होने का अनुमान है। कर: राजस्व जीडीपी अनुपात में बजट 2007-08 में जीडीपी के 11.8 प्रतिशत से सुधार होकर यह संशोधित अनुमान में जीडीपी का 12.5 प्रतिशत हो गया।

3. राजकोषीय उत्तरदायित्व तथा बजट प्रबन्धन अधिनियम, 2003 के अधिदेशित लक्ष्यों के सन्दर्भ में राजकोषीय निष्पादन ने पिछले चार वर्षों के दौरान कुछ प्रारम्भिक आशंकाओं को काफी हद तक दूर किया है। मात्रात्मक लक्ष्यों के बैचमार्क के बतौर बजट प्रबंधन सही दिशा में अग्रसर हैं। राजकोषीय घाटे से सम्बद्ध लक्ष्यों को अधिदेश के अनुसार प्राप्त किया जाना निश्चित है, जबकि राजस्व घाटे से सम्बद्ध लक्ष्यों को राजस्व व्यय सघन कार्यक्रमों और योजनाओं के पक्ष में आयोजना प्राथमिकताओं की दिशा में बढ़ने और उनका पुनर्निर्धारण करने तथा अल्पावधि में आयोजना भिन्न व्यय को कड़ाई से रोककर प्राप्त करने की आवश्यकता होगी। यह विशेष रूप से ब्याज भुगतान, पेंशन, वेतन, रक्षा आदि जैसे वचनबद्ध और बाध्यकारी व्यय की वजह से है। पिछले चार वर्षों के दौरान प्राप्त ठोस आर्थिक विकास तथा व्यापक आर्थिक स्थायित्व की वजह से सामान्यतः प्रत्याशित कर प्राप्तियां अधिक रही हैं और संसाधनों की बढ़ती मांग की पूर्ति हेतु राजकोषीय गुंजाइश पैदा हुई है। मौजूदा सुधार तथा राजकोषीय क्षेत्र में की गयी सुधार पहलों से घरेलू मांग तथा निवेश की बढ़ोतरी को सहायता मिलती रहेगी। ये दोनों सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) में विकास के मुख्य वाहक हैं। वार्षिक जीडीपी विकास

दर जो औसतन लगभग 8.7 प्रतिशत रही है, में वृद्धि होकर इसके ग्यारहवीं पंचवर्षीय योजना में निर्धारित लक्ष्य के अनुसार 9-10 प्रतिशत की रेंज में बने रहने की सम्भावना है। जहां एक और नीतिगत लक्ष्यों के अनुरूप खर्च की आवश्यकताओं की पूर्ति की जानी है, वहीं दूसरी ओर कर सुधार कर प्रतियों में तीव्र बढ़ोतरी को लाभ पहुंचाते रहेंगे। कर राजस्व में तेजी से बढ़ोतरी, उपभोक्ता व्यय का नियंत्रण, सब्सिडियों को नियंत्रित रखना निवेश हेतु संसाधनों का सृजन, भौतिक आधारभूत संरचना में सुधार और मानव पूंजी सृजन मध्यावधि महत्वपूर्ण केन्द्र बिन्दु बने रहेंगे।

4. राजकोषीय नीति कार्य योजना का उद्देश्य ग्यारहवीं पंचवर्षीय योजना के दस्तावेज में निर्धारित विकास लक्ष्य प्राप्त करने हेतु समावेशी विकास, मानव पूंजी विकास और महत्वपूर्ण ढांचागत निवेश के सम्बन्ध में कार्यक्रमों से जुड़ी व्यय की प्राथमिकताओं में समायोजन स्थापित करना है।

5. एफआरबीएम की अनुवर्ती कार्य योजना में राजकोषीय घाटे में कम से कम 0.3 प्रतिशत अंक और राजस्व घाटे में 0.5 प्रतिशत अंक की वार्षिक कटौती का प्रावधान है। इस शर्त की अनुपालना अधिनियम के कार्यान्वयन के समग्र परिप्रेक्ष्य के अन्तर्गत सफलतापूर्वक की जा रही है। अधिदेश में 31 मार्च, 2009 तक राजस्व घाटे को समाप्त करने और राजकोषीय घाटे को जीडीपी के 3 प्रतिशत तक घटाने की व्यवस्था है। बजट 2007-08 में सरकार ने राजस्व घाटे के 1.5 प्रतिशत यानी स.अ. 2006-07 की अपेक्षा 0.5 प्रतिशत अंक कम होने का अनुमान लगाया है। राजकोषीय घाटे में स.अ. 2006-07 में 3.7 प्रतिशत से गिरावट होकर इसके ब.अ. 2007-08 में 3.3 प्रतिशत तक होने का अनुमान है। ब.अ. 2007-08 में यथा-अनुमानित राजकोषीय तथा राजस्व घाटे के लक्ष्यों में सुधार होकर ये स.अ. 2007-08 में जीडीपी के 3.1 प्रतिशत और 1.4 प्रतिशत पर रहे हैं। इसका मुख्य कारण उच्च कर वृद्धि दर का होना है जो जीडीपी विकास दर और कुछ हद तक आयोजना भिन्न व्यय में संतुलन स्थापित करने की वजह से हुआ।

6. सकल कर-जीडीपी का अनुपात 2007-08(ब.अ.) में 11.8 प्रतिशत से बढ़कर 2008-09 ब.अ. में 12.9 प्रतिशत होने का अनुमान है। विवेकसम्मत राजकोषीय नीति से कर प्राप्तियों में सतत सुधार सुनिश्चित हुआ जिसमें प्रत्यक्ष कर 2007-08 (सं.अ.) के अप्रत्यक्ष करों से अधिक है। प्रत्यक्ष कर संग्रहण में तेजी से हुई वृद्धि में अन्य बातों के साथ-साथ संतुलित कर ढांचा है जो कुछ अपवादों के साथ समुचित दरों पर आधारित है जिसमें अपेक्षाकृत कर दाताओं के व्यापक दायरे को शामिल किया गया है और इसमें बेहतर अनुपालन और अपेक्षाकृत अधिक सक्षम कर प्रशासन शामिल है। व्यय नीति का लक्ष्य विकास-भिन्न व्यय को नियंत्रण में रखना और सामाजिक एवं अवसंरचना संबंधी आवश्यकताओं में प्राथमिकता के लिए पर्याप्त व्यवस्था करना है। यद्यपि आयोजना-भिन्न व्यय, जिसमें 80 प्रतिशत से अधिक रक्षा, ब्याज अदायगियों और सब्सिडियों तथा राज्य को अंतरण संबंधी बाध्यतापूर्ण व्यय शामिल है, सरकार वैश्विक प्रवृत्तियों की तर्ज पर समावेशी विकास की सहायता में सावधानीपूर्वक अंशांकित राजकोषीय समेकन द्वारा और अधिक राजकोषीय गति बढ़ाने की जरूरत के प्रति आश्वस्त है, जबकि पूंजी प्रवाहों में बढ़ोतरी और अंतर्राष्ट्रीय वस्तुओं की कीमतों में वृद्धि विशेषतया खाद्य, ईंधन और उर्वरकों की कीमतों में वृद्धि के प्रति भी सजग है।

7. बजट 2008-09 ऊपर दर्शाए गए नीतिगत ढांचे के अंतर्गत तैयार किया गया है।

ख) राजकोषीय संकेतकों में अन्तर्निहित पूर्वानुमान

1. राजस्व प्राप्तियां

क) कर-राजस्व

8. सकल कर राजस्व, राज्यों का हिस्सा और केन्द्र का निवल कर राजस्व ब.अ. 2008-09 में क्रमशः 6,87,715 करोड़ रुपए, 1,78,765 करोड़ रुपए और 5,07,150 करोड़ रुपए हैं, जो ब.अ. 2007-08 की तुलना में क्रमशः 25.5 प्रतिशत, 25.5 प्रतिशत और 25.6 की वृद्धि दर्शाता है।

9. कर वृद्धि प्रत्यक्ष करों से अधिक संचालित होती है। प्रत्यक्ष कर जो 2004-05 में सकल कर राजस्व का 43 प्रतिशत था, ब.अ. 2008-09 में 53 प्रतिशत बढ़ गया है। आयकर में बढ़ोतरी और कर अनुपालन में सुधार ने, अन्य बातों के साथ-साथ, कर: स.घ.उ. अनुपात को प्रभावित किया है। प्रक्रियात्मक सुधारों का लक्ष्य कराधार को विस्तारित करना, कर संग्रहण क्षमता सुधारना है, यद्यपि निवेश प्रोत्साहित करने के लिए कुछ रियायतें देना भी कर संग्रहणों में उल्लेखनीय निष्पादन का आधार है। भौतिक अवसंरचना संवर्धन उद्योग में अनुसंधान और विकास, पूर्वोत्तर क्षेत्र का विकास, शहरी स्थानीय निकायों की ओर से अधिसूचित राज्य पूल की वित्त कम्पनियों द्वारा जारी बांडों में निवेश में छूट, राष्ट्रमंडल खेलों से संबंधित कुछ निवेशों के लिए प्रोत्साहन महत्वपूर्ण मामले हैं। सेवा कर के तहत कवरेज का विस्तार हो रहा है। अभी इसमें 100 से अधिक सेवाएं शामिल हैं।

10. पैरा क की सारणी में दर्शाए गए राजकोषीय संकेतक सामान्य कर उछाल पर आधारित हैं और कोई महत्वपूर्ण अतिरिक्त संसाधन जुटाने (एआरएम) उपायों की परिकल्पना नहीं है। व्यय पर अधिक परिय्य प्राप्त करने के लिए अतिरिक्त संसाधन उपलब्ध कराने के प्रयास इस संबंध में जारी रहेंगे।

(ख) कर-भिन्न राजस्व

11. कर भिन्न राजस्व जो ब.अ. 2007-08 में 82,550 करोड़ रुपए था, वह बढ़कर ब.अ.2008-09 में 95,785 करोड़ रुपए हो गया। इसमें 16.0 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई। लाभांशों और लाभों से प्राप्तियां एनटीआर का सबसे बड़ा संघटक है, जिसमें ब.अ. 2007-08 में 33,925 करोड़ रुपए की तुलना में ब.अ. 2008-09 में 43,204 करोड़ रुपए है। केन्द्रीय सरकारी क्षेत्रक उपक्रमों का बेहतर निष्पादन विशेषतया विद्युत, कोयला, इस्पात और दूरसंचार सेक्टर में वित्तीय संस्थाओं से अंतरण के साथ-साथ अधिक प्रतिलाभ पाने की संभावना है। भारत सरकार के भारतीय रिजर्व बैंक की पण्य भारतीय स्टेट बैंक में खरीदने के परिणामस्वरूप उस पर भारत सरकार को लाभांश प्राप्त होने की संभावना है। ब.अ. 2008-09 में ब्याज प्राप्तियां भी 20 प्रतिशत एनटीआर में योगदान करके काफी बड़ा संघटक हो गयी है। तथापि, राज्यों से ब्याज प्राप्तियों के मुख्यतः विदेशी सहायता प्राप्त परियोजनाओं के तहत ऋण को छोड़कर राज्यों को उधार देने सम्बन्धी बारहवें वित्त आयोग की सिफारिशों पर वित्तीय बिचौलिए से केन्द्र के हट जाने के कारण मध्यावधिक में कम होने की संभावना है। विशेष रूप से निम्नलिखित कारक ब्याज प्राप्तियों में और कुछ समय तक गिरावट की प्रवृत्ति के कारण बनते रहे हैं: (i) ऋणों पर कम उधार दरें; (ii) राज्य सरकारों के ऋण की प्रोत्साहन संबद्ध पुनःसंरचना जो राजकोषीय उत्तरदायित्व विधान अधिनियमित करती है; (iii) सीपीएसयू आदि द्वारा ऋणों की पुनःअदायगियां जिन्होंने पहले कम ब्याज क्षेत्र का फायदा उठाया है। एनटीआर के अन्य स्रोतों में उछाल बड़ी मात्रा में होने की संभावना है, जो ऊपर वर्णित कारकों को प्रतिसंतुलित करने के लिए काफी पर्याप्त है। इसलिए एनटीआर जिसका योगदान 2007-08 के जीडीपी में 1.8 प्रतिशत है, उसके ब.अ. 2008-09 में जीडीपी के 2.0 प्रतिशत घटने की संभावना है। ब.अ. 2007-08 में इसके और अधिक गिरकर जीडीपी का 1.78 प्रतिशत होने की संभावना है। मध्यम अवधि में एनटीआर में निरपेक्ष रूप से मामूली सुधार होने की आशा है परन्तु यह जीडीपी के समानुपात के रूप में अनुक्रमी गिरावट की प्रवृत्ति दर्शाता है।

(ग) राज्यों को अंतरण

12. बारहवें वित्त आयोग ने अनुशंसा की है कि 2005-10 के दौरान शेयर योग्य करों के निवल लाभों का 30.5 प्रतिशत प्रत्येक राज्य के विनिर्दिष्ट शेयर के अनुसार राज्यों को संवितरित किया जाएगा। बारहवें वित्त आयोग ने यह भी सिफारिश की है कि यदि राज्यों को चीनी, कपड़ा, तम्बाकू पर बिक्री कर (या वैट) लगाने की अनुमति दी जाए तो शेयर योग्य केन्द्रीय करों के निवल लाभों में राज्यों का हिस्सा घटकर 29.5 प्रतिशत हो जाएगा।

2. पूंजी प्राप्तियां

(क) ऋणों की वसूली

13. पहले दिए गए ऋणों के लिए पुनःअदायगी प्राप्ति धीरे-धीरे केन्द्र सरकार द्वारा बिचौलिया न करने और ऋण समेकन, जो कर लिया गया है, के दोहरे कारणों की वजह से पिछले कुछ समय में गिरावट होने का अनुमान है। कुछ समय से राज्य सरकारों और सरकारी क्षेत्रक उपक्रमों को प्रत्यक्ष रूप से बाजार से उधार लेने के लिए प्रोत्साहित किया गया है न कि केन्द्रीय सरकार से। इसके अतिरिक्त राज्य सरकारों को 2004-05 को समाप्त तीन वर्ष की अवधि से 1,03,652 करोड़ रुपए की उच्च लागत वाली ऋण राशि की समयपूर्व अदायगी करने की अनुमति दी गई है। केन्द्रीय सरकार के ऋण के सम्बन्ध में बारहवें वित्त आयोग ने ऋण समेकन और माफी के रूप में राज्य सरकारों को राहत पहुंचायी है जो राजकोषीय उत्तरदायित्व विधान के अधिनियमन और उससे संबंधित विशिष्ट लक्ष्यों की प्राप्ति के अधीन होते हैं। इन उपायों से ऋण वसूली पर और अधिक प्रभाव पड़ने की संभावना है। पीएसई से ऋणों की पुनःअदायगी भी उन पीएसई से चूकों के कारण प्रभावित हुई है जो या तो रून् हैं या बीआईएफआर द्वारा उनका पुनरुद्धार हो रहा है।

(ख) अन्य ऋण भिन्न पूंजी प्राप्तियां

14. केन्द्रीय सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों आदि में सरकार की पण्यधारिता की बिक्री द्वारा विनिवेश लाभ इस शीर्ष के तहत प्राप्तियों का मुख्य स्रोत रहा है। परन्तु अब यह निर्णय लिया गया है कि पीएसयू में सरकारी इक्विटी की बिक्री से प्राप्त लाभ राजकोषीय घाटे का वित्तपोषण करने के लिए अब प्रयुक्त नहीं होंगे। तदनुसार, एक राष्ट्रीय निवेश निधि (एनआईएफ) की स्थापना की गई है जिसमें पीएसयू में इक्विटी की बिक्री से प्राप्त लाभ अंतरित किए जाएंगे। एनआईएफ लोक लेखा में रखा जाता है। निधियों का निवेश व्यावसायिक रूप से प्रबंधन किए जाने वाले चुनिंदा सरकारी क्षेत्रक के म्यूचुअल फंडों द्वारा किया जाएगा ताकि संचित निधि के लाभों के विपथन के वगैर सतत लाभ प्रदान किया जा सके और इसका उपयोग रूग्ण यूनितों तथा सामाजिक सेक्टर के लिए नीति के अनुसार खर्च करने के लिए प्रयुक्त होगा।

(ग) उधार-लोक ऋण और अन्य देयताएं

15. सरकार की उधार आवश्यकता का निर्धारण राजकोषीय घाटे के स्तर से किया जाता है जो केंद्र सरकार के व्यय और कुल ऋण-भिन्न प्राप्तियों के बीच छूटे अंतर को अनिवार्य रूप से दर्शाता है। यह घाटा मोटे तौर पर घरेलू लोक ऋण और कुछ हद तक विदेशी ऋण तथा अन्य आंतरिक देयताओं अथवा नकदी आहरण में कमी के माध्यम से वित्तपोषित किया जाता है। कुछ वर्षों से घाटे के वित्तपोषण में अन्य आंतरिक देयताओं का हिस्सा कम हो रहा है और सरकार अपने घाटे के प्रमुख हिस्से का वित्तपोषण बाजार निर्धारित ब्याज दरों

पर जुटाए गए संसाधनों के जरिए कर रही है।

16. घरेलू ऋण/केन्द्र सरकार की देनदारियों में शामिल दो मर्दे राजकोषीय घाटे से सम्बन्धित नहीं है। ये एनएसएस और बाजार स्थिरीकरण योजना के अन्तर्गत निवल उपचय हैं। राष्ट्रीय लघु बचत निधि में 80 प्रतिशत से 100 प्रतिशत की सीमा तक निवल उपचय को दि.1.4.2007 से राज्य सरकारों को उनके विकल्प के अनुसार इस प्रयोजन के लिए जारी राज्य सरकार की विशेष प्रतिभूतियों में निवेश के माध्यम से अंतरित किया जाता है। तथापि, ये केन्द्र सरकार की देनदारियां हैं और इन्हें इस प्रकार शामिल किया जाता है। दूसरी तरफ, बाजार में अधिक नकदी को हटाने में भारतीय रिजर्व बैंक की सहायता के लिए भारत सरकार और भारतीय रिजर्व बैंक के बीच परस्पर सहमत अधिकतम सीमा के भीतर भारत सरकार द्वारा बाजार स्थिरीकरण योजना के अंतर्गत उधार जुटाए जाते हैं। इन प्राप्तियों को भारतीय रिजर्व बैंक में एक पृथक खाते में अलग से रखा जाता है जो सरकार को व्यय के लिए उपलब्ध नहीं हैं। इस प्रकार ये इन उधारों पर ब्याज भुगतान/कटौती की सीमा के अतिरिक्त राजकोषीय घाटे को प्रभावित नहीं करते हैं।

3. कुल व्यय

(क) राजस्व लेखा

आयोजनागत राजस्व व्यय

17. आयोजनागत राजस्व व्यय का ब.अ. 2007-08 में 1,74,354 करोड़ रुपए से बढ़कर बजट अनुमान 2008-09 में 2,09,767 करोड़ रुपए होने का अनुमान है, अर्थात् 20.3 प्रतिशत की वृद्धि। यह वृद्धि मुख्यतया सामाजिक सेक्टर में वर्धित बजटीय आवंटन विशेषतया प्रारंभिक शिक्षा और साक्षरता (सर्व शिक्षा अभियान और मध्याह्न भोजन योजना), स्वास्थ्य और परिवार कल्याण (राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन), ग्रामीण रोजगार, कृषि, समेकित बाल विकास योजना, राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम, त्वरित सिंचाई लाभ कार्यक्रम, राज्यों को विशेष आयोजना, सहायता और सड़क सहित भौतिक अवसंरचना के लिए सहायता के कारण हुई है। राज्यों को कुल आयोजना अनुदानों में ब.अ. 2007-08 में 65,027 करोड़ रुपए से बढ़कर ब.अ. 2008-09 में 81,452 करोड़ रुपए होने का अनुमान है जो 25.3 प्रतिशत की वृद्धि का द्योतक है।

आयोजना-भिन्न राजस्व व्यय

18. आयोजना-भिन्न राजस्व व्यय में ब.अ.2007-08 में 3,83,546 करोड़ रुपए से बढ़कर ब.अ. 2008-09 में 4,48,352 करोड़ रुपए तक बढ़ाने का बजट प्रावधान है, अर्थात् मामूली 16.9 प्रतिशत की वृद्धि। आयोजना-भिन्न व्यय की मुख्य मदों का ब्यौरा नीचे दिया गया है:

(i) ब्याज अदायगियां

19. ब्याज अदायगियों के व्यय में ब.अ. 2007-08 में 1,58,995 करोड़ रुपए से बढ़कर ब.अ. 2008-09 में 1,90,807 करोड़ रुपए होने का अनुमान है, जो 20.0 प्रतिशत की वृद्धि दर्शाता है। यह वृद्धि मुख्यतया बाजार ऋणों, बाजार स्थिरीकरण योजना पर ब्याज की अधिक आवश्यकता और तेल विपणन कम्पनियों, भारतीय खाद्य निगम और उर्वरक कम्पनियों को जारी विशेष प्रतिभूतियों पर ब्याज की अधिक आवश्यकता के कारण हुई। इसके परिणामस्वरूप, केन्द्र सरकार की निवल राजस्व प्राप्तियों के प्रतिशत के रूप में ब्याज अदायगियों के 32.7 प्रतिशत से घटकर 31.6 प्रतिशत होने का अनुमान है। ब्याज अदायगियों की वृद्धि की दर में कमी विवेकयुक्त राजकोषीय नीति द्वारा प्राप्त हुई है जिसके परिणामस्वरूप सुदृढ़ ऋण प्रबंधन पद्धतियों के साथ-साथ सुधारों का कम सहारा लेना पड़ा है। इस प्रक्रिया से उच्चतर आयोजना व्यय के दबावों को पूरा करने के लिए महत्वपूर्ण राजकोषीय गुंजाइश पैदा हुई है।

(ii) रक्षा सेवाएं

20. कुल रक्षा सेवाओं के व्यय के लिए ब.अ. 2007-08 में 96,000 करोड़ रुपए से बढ़कर ब.अ. 2008-09 में 1,05,600 करोड़ रुपए करने की बजट व्यवस्था है। 2008-09 के लिए बजटीय आवंटन में ब.अ.2007-08 में 54,078 करोड़ रुपए की तुलना में 57,593 करोड़ रुपए का राजस्व व्यय संघटक शामिल है, अर्थात् 6.5 प्रतिशत की वृद्धि। रक्षा के लिए पूंजी परिव्यय का बजट प्रावधान ब.अ. 2008-09 में 48,007 करोड़ रुपए है जो ब.अ. 2007-08 के 41,922 करोड़ रुपए से अधिक है, जो 14.5 प्रतिशत की वृद्धि दर्शाता है।

(iii) मुख्य सस्सिडियां

21. मुख्य सस्सिडियों के लिए आवंटन अर्थात् खाद्य उर्वरक, पेट्रोलियम उत्पादों में, जो ब.अ. 2007-08 में 50,987 करोड़ रुपए था उसके बढ़कर ब.अ. 2008-09 में 66,537 करोड़ रुपए होने का अनुमान है। सस्सिडी में वृद्धि का मुख्य कारण अधिक निवेश लागत, उर्वरक की लागत में वृद्धि, वर्धित न्यूनतम समर्थन मूल्य और खाद्यान्नों के भाड़ा लागत में वृद्धि तथा निर्यात संवर्धन और ब्याज आर्थिक सहायता के तहत ब्याज सस्सिडी के कारण है।

(iv) राज्यों को आयोजना भिन्न अनुदान

22. राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को वर्ष 2008-09 में ब.अ. 2007-08 के 38,403 करोड़ रुपए की तुलना में 43,294 करोड़ रुपए के आयोजना-भिन्न अनुदानों का प्रावधान किया गया है जो 12.7 प्रतिशत की वृद्धि दर्शाता है। केन्द्र सरकार ने राज्य/संघ राज्य क्षेत्र की सरकारों को तय मानदंडों के आधार पर राज्य स्तरीय मूल्य वर्धित कर (वैट) के कार्यान्वयन से होने वाली संभावित राजस्व हानि के लिए क्षतिपूर्ति प्रदान करने की वचनबद्धता कायम रखी है। वैट लागू करने और केन्द्रीय बिक्री कर (सीएसटी) समाप्त करने के कारण राजस्व संग्रहणों में सामान्यतया जबरदस्त वृद्धि को देखते हुए, ब.अ. 2008-09 में इस प्रयोजन हेतु, ब.अ. 2007-08 के 5,495 करोड़ रुपए के बजट अनुमानों के मुकाबले 5,793 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है।

(v) अन्य

23. राजस्व व्यय की अन्य प्रमुख मदें पुलिस, वेतन, पेंशन और अन्य प्रशासनिक व्यय से संबंधित हैं। इन मदों के संबंध में व्यय की वृद्धि में नियंत्रण विवेकपूर्ण राजकोषीय नीति का अनिवार्य संघटक है।

(ख) पूंजी खाता

(i) ऋण एवं अग्रिम

24. पहले राज्य सरकारों को दिए जाने वाले ऋण और अग्रिम केन्द्र सरकार द्वारा दिए जाने वाले ऋणों और अग्रिमों के प्रमुख संघटक होते थे। राज्य सरकारों को दिए जाने वाले ऋणों के संबंध में बारहवें वित्त आयोग ने केन्द्र सरकार के मध्यस्थता न करने की सिफारिश की है, परन्तु ऐसे राज्य जो राजकोषीय रूप से कमजोर हैं, और अपने संसाधनों का सीधे पोषण करने में असमर्थ हैं, को सहायता करने की सिफारिश की है। घरेलू ऋणों के संबंध में राज्य ऐसे ऋण केन्द्र सरकार की बजटीय मध्यस्थता के बिना सीधे प्राप्त कर सकते हैं।

(ii) पूंजी परिव्यय

25. कुल पूंजी परिव्यय ब.अ. 2007-08 के 82,621 करोड़ रुपए से गिरकर ब.अ. 2008-09 में 92,765 करोड़ रुपए होने की प्रबल संभावना है। इसमें कुल आयोजना-भिन्न पूंजी व्यय, 51,875 करोड़ रुपए की तुलना में 59,146 करोड़ रुपए है। (एसबीआई में आरबीआई के पण्य के अंतरण हेतु 40,000 करोड़ रुपए के प्रावधान को छोड़कर) वर्ष 2008-09 में 48,007 करोड़ रुपए का रक्षा पूंजी परिव्यय आयोजना-भिन्न पूंजी व्यय का सबसे बड़ा संघटक है। अन्य आयोजना भिन्न व्यय 11,139 करोड़ रुपए है।

26. आयोजना पूंजी व्यय ब.अ. 2007-08 के 30,746 करोड़ रुपए के मुकाबले ब.अ. 2008-09 में 9.6 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज कर 33,618 करोड़ रुपए हो गया। ब.अ. 2008-09 में 2,43,386 करोड़ रुपए की सकल बजटीय सहायता में आयोजना पूंजी परिव्यय का भाग 13.8 प्रतिशत है। स.घ.उ. के प्रतिशत के रूप में आयोजना पूंजी व्यय ब.अ. 2007-08 के 0.66 के मुकाबले ब.अ. 2008-09 में 0.63 प्रतिशत है।

4. स.घ.उ. में वृद्धि

27. वर्ष 2007-08 में नियत मूल्यों (1999-2000) पर उपादान लागत में स.घ.उ. वृद्धि के वर्ष 2006-07 के 9.6 प्रतिशत की वृद्धि दर की तुलना में 8.7 प्रतिशत होने का अनुमान है। वर्ष 2006-07 (त्व्रित अनुमान) और 2007-08 (अग्रिम अनुमान) के दौरान चालू बाजार मूल्यों पर वृद्धि दर क्रमशः 15.8 प्रतिशत और 13.2 प्रतिशत रखी गई है। वर्ष 2008-09 में वृद्धि दर के 13.0 प्रतिशत होने का अनुमान है। वर्ष 2008-09 के आगे के वर्षों के लिए 13 प्रतिशत वृद्धि की प्रवृत्ति का अनुमान है। सारणी 'क' में दर्शाए गए राजकोषीय लक्ष्य तदनुसार निर्धारित किए गए हैं। वर्ष 2007-08 में चालू बाजार मूल्यों पर स.घ.उ. का अग्रिम अनुमान 46,93,602 करोड़ रुपए है। वर्ष 2008-09 में मौजूदा बाजार मूल्यों पर स.घ.उ. के 53,03,770 करोड़ रुपए पर स्थिर होने का अनुमान है।

(ग) निम्न से संबंधित निरन्तरता का आकलन:

(i) राजस्व प्राप्तियों और राजस्व व्यय के बीच संतुलन

28. राजस्व घाटे में बजट अनुमान 2007-08 में जीडीपी के 1.5 प्रतिशत से ब.अ. 2008-09 में 1.0 प्रतिशत तक कमी आने का अनुमान है। राजस्व प्राप्तियों और व्यय के बीच संतुलन में सुधार राजस्व प्राप्तियों में 25.5 प्रतिशत की वृद्धि का परिणाम है जो बजट अनुमान 2007-08 की तुलना में 18.0 प्रतिशत कर स्थिर राजस्व व्यय में वृद्धि से अधिक है। 1,16,513 करोड़ रुपए राशि की राजस्व प्राप्तियों में वृद्धि केवल 1,03,278 करोड़ रुपए राशि के कर राजस्व में वृद्धि के कारण है। तदनुसार, केन्द्र सरकार की राजस्व प्राप्तियों में करें

का हिस्सा ब.अ. 2007-08 में 83.0 प्रतिशत से बढ़कर ब.अ. 2008-09 में 84 प्रतिशत होने का अनुमान है। कर प्राप्तियों में वृद्धि सकल कर : जीडीपी अनुपात में प्रतिबिम्बित होता है जो ब.अ. 2008-09 में 11.8 प्रतिशत से बढ़कर 12.9 प्रतिशत हो गया है। कर राजस्व का बजट अनुमान से बेहतर निष्पादन मुख्यतया एक तरफ सुदृढ़ अर्थव्यवस्था और दूसरी तरफ उदार, समतापरक और सक्षमता को बढ़ावा देने वाले कर सुधार उपाय है। उन उपायों में कर आधार को व्यापक बनाना, सेवाकर नेट का विस्तार, छूटों का चरणबद्ध यौक्तिकीकरण, खामियों को दूर करना और कर प्रशासन में सुधार शामिल हैं। कर संग्रहण में तेजी को बनाए रखने के उद्देश्य से इन सुधार उपायों को निरन्तर जारी रखना होगा और उनमें और प्रगति करनी होगी। कृषि और सेवा क्षेत्रों की कवरेज के जरिए अर्थव्यवस्था के कराधेय क्षेत्र के हिस्से का और विस्तार करने के लिए विशेष प्रयासों की आवश्यकता होगी। कर-भिन्न राजस्व के क्षेत्र में, लाभ कमाने वाले सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों से प्राप्तियों की इष्टतम सम्भावना को साकार करने, सार्वजनिक वस्तुओं और सेवाओं पर प्रयोक्ता प्रभारों का यौक्तिकीकरण तथा खनिज और "स्पेक्ट्रम" जैसे अन्य संसाधनों के संबंध में आवंटन अधिकारों के लिए उपायों में तेजी लाने की आवश्यकता होगी।

29. बजट अनुमान 2008-09 में बजट अनुमान 2007-08 की तुलना में 25.5 प्रतिशत की उच्च राजस्व प्राप्तियां बजट अनुमान 2007-08 की तुलना में बजट अनुमान 2008-09 में 18 प्रतिशत के राजस्व व्यय में वृद्धि से अधिक हैं। अधिक महत्वपूर्ण बात यह है कि आयोजना-भिन्न राजस्व व्यय में 17 प्रतिशत की वृद्धि राजस्व व्यय में वृद्धि की अपेक्षा कम है। जबकि आयोजना राजस्व व्यय में वृद्धि 20.3 प्रतिशत है। यह ब्याज, पेंशन, वेतन, रक्षा, पुलिस, सब्सिडियां और राज्यों को अंतरण जैसे विभिन्न अपरक्राम्य वचनबद्धताओं के दबाव के बावजूद प्राप्त किया गया है। विशेष रूप से, ब्याज अदायगियों में वृद्धि, बाजार स्थिरीकरण योजना, बाजार ऋणों पर ब्याज और तेल विपणन कंपनियों, भारतीय खाद्य निगम और उर्वरक कम्पनियों को जारी विशेष प्रतिभूतियों पर ब्याज का भुगतान करने के लिए वांछित अधिक राशि के कारण है। ये भुगतान काफी हद तक अधिक हैं और राजस्व व्यय में कमी लाने के लिए बहुत कम गुंजाइश छोड़ते हैं। अतः राजकोषीय उत्तरदायित्व और बजट प्रबंधन की कार्ययोजना के अनुसार राजस्व घाटे में कमी लाने का उपाय आयोजना-भिन्न व्यय के प्रमुख संघटकों में महत्वपूर्ण वृद्धि की पृष्ठभूमि में खोजना होगा। इसके अतिरिक्त, ऊर्जा के मूल्यों सहित वस्तुओं के मूल्यों में अस्थिरता के कारण सब्सिडियों पर दबाव फिर भी बने हुए हैं। आयोजना राजस्व व्यय में बजट अनुमान 2008-09 में बजट अनुमान 2007-08 की तुलना में 20 प्रतिशत की महत्वपूर्ण वृद्धि का लक्ष्य बुनियादी आवश्यकताओं की अपेक्षाओं को पूरा करना और ग्रामीण भारत की उपयोग में न लाई जा सकी सम्भाव्यता का पूरा फायदा उठाने के लिए ग्रामीण सड़कों और विद्युतीकरण सहित सामाजिक और भौतिक आधारभूत ढांचा मुहैया कराना है। इन आवंटनों से ग्रामीण क्षेत्रों में बेहतर संयोजनता, विशेषकर स्वास्थ्य और शिक्षा सुविधाओं तक बेहतर पहुंच के जरिए बेहतर जीवनस्तर की व्यवस्था करने के साथ-साथ रोजगार के सृजन की संभावना है। सरकार परिव्ययों से परिणाम पर जोर दे रही है और कार्यान्वयन अभिकरणों द्वारा व्यय अनुशासन सुनिश्चित करने के प्रति इच्छुक है।

30. केन्द्रीय सरकार का पूंजीगत व्यय मुख्यतया राज्य सरकारों को ऋणों की मध्यस्थहीनता के कारण निरन्तर घट रहा है, क्योंकि राज्य सरकारें अब सीधे बाजार में पहुंच सकती हैं। यह बदलाव, एक स्तर पर देश में सुदृढ़ पूंजी बाजार के सकारात्मक घटनाक्रम की ओर संकेत देता है, वही यह केन्द्र सरकार द्वारा वित्तीय मध्यस्थता पर राज्य सरकारों की निर्भरता में कमी लाता है। यह दृष्टिकोण वृहत्तर बाजार अनुशासन के माध्यम से उधारकर्ता निकायों द्वारा कार्यान्वित की जा रही परियोजनाओं/योजनाओं की वित्तीय और वाणिज्यिक व्यवहार्यता के कड़े परीक्षण को प्रोत्साहित करता है। इस मध्यस्थहीनता के परिणामस्वरूप उत्पन्न हो रही राजकोषीय गुंजाइश का इस्तेमाल अर्थव्यवस्था की उत्पादक क्षमता को बढ़ाने और उससे तदनु रूप लाभ प्राप्त करने के लिए निवेश व्यय हेतु उपयोग किए जाने की आवश्यकता है। केन्द्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम भी अपने पूंजीगत व्यय का बड़ा भाग आन्तरिक और बाह्य बजटीय संसाधनों से पूरा कर रहे हैं। केन्द्रीय सार्वजनिक क्षेत्रों के उपक्रमों का आन्तरिक और बाह्य बजटीय संसाधनों के बजट अनुमान 2007-08 में 1,65,053 करोड़ रुपए से 18.46 प्रतिशत बढ़कर 2008-09 में 1,95,531 करोड़ रुपए होने का अनुमान है।

(ii) उत्पादक परिसम्पत्तियों के सृजन हेतु बाजार उधारों सहित पूंजी प्राप्तियों का उपयोग

31. 2008-09 के बजट अनुमान में 2,43,386 करोड़ रुपए का कुल आयोजना व्यय, जो सामान्यतया विकासात्मक व्यय के रूप में अभिज्ञात है, 1,33,287 करोड़ रुपए के अनुमानित राजकोषीय घाटे का 182.6 प्रतिशत है। यह आयोजना व्यय की स्वस्थ प्रवृत्ति की पुष्टि का आभास देता है जो आर्थिक सुधार प्रक्रिया शुरू किए जाने के बाद से तीसरी बार 2007-08 में प्राप्त (135.9 प्रतिशत) राजकोषीय घाटे से अधिक है। हालांकि विकासात्मक व्यय के बड़े घटक को पूरा करने के लिए ऋण के वित्तपोषण पर निर्भरता मध्यावधि में बने रहने की संभावना है। ऐसे ऋण जुटाने के तौर तरीकों पर बल देने की आवश्यकता है जिनके परिणाम से निजी निवेशों का न्यूनतम 'ह्रासकारी' परिणाम पड़ता है ताकि सतत और व्यापक आधारित आर्थिक वृद्धि का लक्ष्य प्राप्त किया जा सके, और इसके साथ ही सरकार

को अपनी व्यय आवश्यकताओं की पूरा करने के लिए निधियां उपलब्ध कराई जा सकें।

32. एफआरबीएम अधिदेशित प्रशासन के दौरान राजस्व प्रशासन की ओर से सतत प्रयासों ने महत्वाकांक्षी लक्ष्यों को पूरा करने के लिये राजस्व उपार्जित किया है। इसलिए, वृद्धिकारी कर निष्पादन की सुदृढ़ता और न्यायोचित रूप से व्यय को तर्कसंगत बनाने के उपाय के संयोजन से संस्थागत सुधार से राजकोषीय निष्पादन ठीक दिशा में चल रहा है। एफआरबीएम अधिनियम के महत्वपूर्ण उद्देश्यों में से एक व्यय की संरचना में गुणात्मक परिवर्तन प्रवृत्त करना है। यह परिवर्तन पूंजी व्यय के पक्ष में और राजस्व व्यय में वृद्धि के विरुद्ध होना चाहिए। हालांकि, सामाजिक क्षेत्र और आयोजना व्यय में ईमानदार बदलाव को विद्यमान लेखांकन/बजट परिभाषाओं के अनुसार राजस्व व्यय माना जाएगा। दूसरे शब्दों में, केंद्र सरकार से राज्यों और अन्य निकायों को दिए गए सभी अनुदानों की परिसंपत्ति सृजन में उनके अंत प्रयोग पर ध्यान दिए बगैर राजस्व व्यय माना जाता है। इस पृष्ठभूमि में, और राजकोषीय अंतर बढ़ाने के लिए मध्यावधिक राजकोषीय समेकन प्रयासों को राजस्व प्राप्तियों में वृद्धि के भीतर राजस्व व्यय में वृद्धि को नियंत्रण में लाने पर केन्द्रित करना होगा। इसे आयोजना-भिन्न राजस्व व्यय के हिस्से को घटाकर जबकि आयोजना पूंजी व्यय भी बढ़ाकर प्राप्त किया जाना है। इस हेतु सख्तिदियां सीमित करना और ब्याज भार घटाने को शामिल करना होगा। यद्यपि ये दोनों वस्तुओं की कीमतों में अस्थिरता और ब्याज दर में उतार-चढ़ाव जैसे वैश्विक आर्थिक कारणों के अध्याधीन हैं।

33. राजकोषीय समेकन की प्रक्रिया ने पिछले चार वर्ष में राजस्व घाटे में 2003-04 में 3.6 प्रतिशत के उच्चस्तर से कम होकर 2007-08 के संशोधित अनुमान में 1.4 प्रतिशत और राजकोषीय घाटा 4.5 प्रतिशत के उच्चस्तर से 2007-08 के संशोधित अनुमान में 3.1 प्रतिशत होने का परिणाम दिखाए हैं। वर्ष के अंत में राजस्व घाटे के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए आगे का कार्य अधिक जटिल और चुनौतीपूर्ण है। हालांकि, इस बारे में प्रयास उच्च वृद्धि की ओर अग्रसर मार्ग की मजबूती पर राजस्व में सतत वृद्धि, अंतर्राष्ट्रीय कीमतों में अस्थिरता के जोखिम, उता-चढ़ाव वाली ब्याज दरों द्वारा सुसाध्य होने की संभावना है और वैश्विक वृद्धि प्रवृत्तियां मध्यावधि में संशोधित राजस्व घाटे के प्रबंध में हमारे दृष्टिकोण को निश्चित रूप से प्रभावित करेंगी।